कार्यालय आयुक्त, वाणिज्यिक कर, मध्यप्रदेश

मोतीबंगला कम्पाउण्ड, महात्मा गांधी मार्ग, इन्दौर–452007

क्रमांक: 2010/4–एफ/तीन/स्थापना/507 **इंदौर, दिनांक 11/06/2024**

विज्ञप्ति

आयुक्त, वाणिज्यिक कर, मध्यप्रदेश की स्थापना अंतर्गत दिव्यांगजन (लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी) हेतु चिन्हांकित सिस्टम एनालिस्ट (संविदा) के 01 रिक्त पद पर वॉक–इन–इन्टरव्यू के माध्यम से नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :–

1. **अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता:–** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर विज्ञान/सूचना प्रौद्योगिकी में बी.ई./बी.टेक में 60 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए।

अथवा

एम.सी.ए./एम.सी.एम./एम.एस.सी. सूचना प्रौद्योगिकी /एम.एस.सी कम्प्यूटर विज्ञान में 60 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए।

2. **<u>आयु सीमा</u> –** 21 से 45 वर्ष (सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 04 जुलाई, 2019 अनुसार अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट समाहित है) आयु सीमा की गणना दिनांक 01.01.2024 के आधार पर की जायेगी।

<u>उपर्युक्त समस्त अर्हताएं आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक धारित करना अनिवार्य है।</u>

3. उक्त पद पर संविदा नियुक्ति एक वर्ष के लिये की जायेगी। नियुक्ति अवधि में निर्धारित पारिश्रमिक 7वें वेतनमान अंतर्गत पे–मैट्रिक्स लेवल–10 के न्यूनतम मूल वेतन के 100 प्रतिशत के बराबर देय होगा।

4. **<u>आवेदन पत्र के साथ अधोलिखित दस्तावेज एवं जानकारी संलग्न करना अनिवार्य है :–</u>**

(1) आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक अर्हता संबंधी समस्त प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेजों की स्व प्रमाणित छायाप्रतियां तथा पासपोर्ट साईज के स्व–प्रमाणित दो फोटोग्रॉफ्स। **(2)** यदि, आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी है तो मूल निवासी होने के स्थायी प्रमाण पत्र की स्व–प्रमाणित प्रति। **(3)** अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण पत्र की स्व–प्रमाणित प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करनी होगी। **(4)** शासन द्वारा जिला स्तर पर गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त विकलांग होने के प्रमाण पत्र की स्व–प्रमाणित प्रति। (अभ्यर्थी के चयनित होने पर कार्यभार ग्रहण कराने के पूर्व जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र का सत्यापन भी अनिवार्य रूप से कराया जायेगा) **(5)** रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र।

निरंतर............2

(6) विवाह के लिये नियत की गयी न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह करने वाले आवेदक नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। **(7)** दिनांक 26.01.2001 या उसके पश्चात शासन निर्देश से अधिक संतान वाले आवेदन के लिये पात्र नहीं होंगे। **(8)** आवेदन पत्र निर्धारित अंतिम तिथि तक एवं ऊपर दिये गये कार्यालय के पते पर स्वयं प्रस्तुत करें अथवा पंजीयत डाक से लिफाफे के ऊपर **"दिव्यांगजन हेतु चिन्हांकित पदों में से सिस्टम एनालिस्ट के पद पर संविदा आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र"** अंकित करते हुए भेजें। किसी भी स्थिति में निर्धारित **अंतिम दिनांक 28.06.2024** को कार्यालयीन समय पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा। विलम्ब से प्राप्त आवेदनों को मान्य नहीं किया जायेगा तथा अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण भरे हुये आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जायेगा।

नोटः– भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 05.05.2021 द्वारा जारी अधिसूचना अनुसार दिनांक 01.06.2021 के बाद समस्त दिव्यांगता प्रमाण पत्र केवल यूडीआईडी पोर्टल नामतः http://www.swavlambancard.gov.in के माध्यम से नियमानुसार जारी किये गये डिजिटल प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे।

5. आवेदक द्वारा असत्य/भ्रामक/मिथ्या जानकारी अथवा दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने अथवा किसी भी कारण से नियम विरूद्ध नियुक्ति हो जाने पर, नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी द्वारा किसी भी समय नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।

6. नियुक्ति संबंधी समस्त अधिकार, आयुक्त, वाणिज्यिक कर, मध्यप्रदेश के पास सुरक्षित होंगे। किसी भी कारण से विज्ञप्ति निरस्त की जा सकती है।

7. नियुक्ति एवं सेवा शर्तों में शासन द्वारा संविदा कर्मचारियों के लिये समय–समय पर जारी दिशा–निर्देश/नियम के अद्यतन प्रावधान लागू होंगे।

नोट : आवेदन पत्र का प्रारूप विभागीय वेबसाईट www.mptax.mp.gov.in पर भी उपलब्ध है। आवेदन पत्र का प्रारूप कार्यालय आयुक्त, वाणिज्यिक कर, मध्यप्रदेश, इन्दौर के स्थापना कक्ष–3 /कार्यालय के रिसेप्शन से प्राप्त किया जा सकता है। आवेदक का चयन वॉक–इन–इन्टरव्यू के माध्यम से किया जायेगा, जिसकी सूचना पात्र आवेदकों को उनके आवेदन पत्र में दर्शाये गये पते पर रजिस्टर्ड डाक, ई–मेल तथा व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से दी जायेगी। भर्ती प्रक्रिया के संबंध में शर्तों/नियमों में यदि कोई परिवर्तन किया जाता है, तो उसकी सूचना समाचार पत्र में प्रकाशित न की जाकर, विभाग की उक्त वेबसाइट पर अपलोड की जायेगी।

आयुक्त
वाणिज्यिक कर, मध्यप्रदेश